हनुमानराम बनाम अर्जुनराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 276 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः– 276 / 2022

वादीः–

हनुमानराम पुत्र भवानाराम जाति जाट उम्र 71 वर्ष निवासी पांचौता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अर्जुनराम पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
2. मुकनाराम पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
3. सुखाराम पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
4. प्रकाश पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
5. कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
6. मनीषा पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
7. समीषा पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
8. पुजा पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
9. खुशी पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
10. मुकेश पुत्र गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
11. गोरधनराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
12. सन्तोषदेवी पुत्री घासीराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
13. सोनी पुत्री हुकमा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
14. मोहरी पुत्री हुकमा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
15. बोदुराम पुत्र शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
16. गिरधारी पुत्र शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
17. जयसंता पुत्री शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
18. मोहनीदेवी पत्नि शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर
19. गंगाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी [illegible] तहसील नावां जिला नागौर ।
20. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा [illegible] तहसील नावां ।
21. राजस्थान सरकार जरिये [illegible] नावां तहसील नावां ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

दावा वास्ते इस्तकरार हक व भू–विभाजन
अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :— श्री रामेश्वरलाल नेहरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः— 07.02.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम पांचौता पटवार हल्का पांचौता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 1.7700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसकी नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये। ग्राम पांचौता में स्थित उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 799, 842, 843 कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि में से 156/313 हिस्से की भूमि का अर्थात 1.5600 हैक्टर भूमि का वादी आज दिन काबिज खातेदार कृषक है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से एवं सुविधा अनुसार आज सें करीब 40 वर्षो पूर्व ही मौके पर भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारा करके वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे तथा माफिक भौतिक बंटवारा वादी की 1.5600 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 843 रकबा 1.33 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जे काश्त में रही है तथा वादी की शेष 0.2000 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के साथ खसरा नम्बर 799 में स्थित चली आ रही है। इस प्रकार वादी के हिस्से की भूमि मौके पर उपरोक्ता अनुसार बटी हुई है तथा वादी काबिज होकर निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है तथा चारो तरफ सीव माठ डोंल कायम कर रखी है। वादी के हक हिस्से की भूमि आज दिन राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खातेदारी की दर्ज चली आ रही है जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वादी को अपने हिस्से की भूमि पर मिलने वादी सरकारी सुविधाओ से वंचित होना पड रहा है जबकि मौके पर उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजित चली आ रही है तथा सीव माठ कायम करके अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है इसलिए माफिक भौतिक बंटवारा वादी के हक हिस्से की 1.5600 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 842, 843 सम्पूर्ण भूमि जो वादी के कब्जे काश्त व आधिपत्य में है व खसरा नम्बर 799 मे 0.2000 हैक्टर भूमि वादी की प्रतिवादीगण के साथ स्थित चली आ रही है जिसका वादी भू विभाजन करवाने का कानूनी [illegible] है। वादी ने मौके पर भौतिक बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण इतने दिनो तक वादी को आश्वासन देते रहे तथा प्रतिवादीगण ने अपने मृत पूर्वजो के स्थान फौतगी नामान्तरकरण भी दर्ज करवाने मे आनाकानी कर रहे है तथा प्रतिवादीगण की मन्शा भू—विभाजन करवाने की नही होने से तथा प्रतिवादीगण ने अभी दिनाक 30.11.2022 को भू—विभाजन करवाने से इन्कार करने पर वादी ने अपने कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

काश्त व हक हिस्से की भूमि का भू–विभाजन करवाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया। खातेदार घासीराम पुत्र हुक्मा का स्वर्गवास होने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 व खातेदार शिवनाथराम पुत्र हुक्मा का स्वर्गवास होने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 व खातेदार नन्दुदेवी पत्नि हुकमा का स्वर्गवास होने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 पक्षकार प्रतिवादी है। राजस्व ग्राम पांचौता पटवार हल्का पांचौता तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 1.7700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि में से वादी के 156 / 313 हिस्से की अर्थात 1.5600 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 799 रकबा 1.7700 हैक्टर भूमि मे 0.2000 हैक्टर भूमि वादी के नाम प्रतिवादीगण के साथ खातेदारी रखते हुये खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का व खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तथा उक्त भूमि में से वादी के 156 / 313 हिस्से की अर्थात 1.5600 हैक्टर भूमि जो माफिक भौतिक बंटवारा जो खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर सम्पूर्ण वादी के कब्जे काश्त व आधिपत्य की है तथा शेष 0.2000 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 799 मे प्रतिवादीगण के साथ स्थित है इस आश्य की भू विभाजन की डिक्री की जाकर वादी के नाम Seperate Holding कायम किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी हनुमानराम, पी. डब्ल्यू.2 उदाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां एवं पी.डब्ल्यू.3 गंगाराम पुत्र भवानाराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसी नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये एवं वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी नकल प्रदर्श 1 पेश की। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादी की अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम पांचौता पटवार हल्का पांचौता तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 1.7700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि में बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार वादी भू–विभाजन करवाने हेतु सहमत है। इसलिए वादी का वाद पत्र बंटवारा प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पांचौता पटवार हल्का पांचौता तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 1.7700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि में से बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 842 रकबा 0.03 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 843 रकबा 1.33 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा शेष खसरा नम्बर 799 रकबा 1.77 हैक्टर भूमि में से वादी का नाम हटाया जाता है एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 799 में प्रतिवादीगण हिस्सा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.**
अज अदालत :— श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादीः—

हनुमानराम पुत्र भवानाराम जाति जाट उम्र 71 वर्ष निवासी पांचौता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. अर्जुनराम पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
2. मुकनाराम पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
3. सुखाराम पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
4. प्रकाश पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
5. कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
6. मनीषा पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
7. समीषा पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
8. पुजा पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
9. खुशी पुत्री गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
10. मुकेश पुत्र गोपालराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कानीदेवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
11. गोरधनराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
12. सन्तोषदेवी पुत्री घासीराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
13. सोनी पुत्री हुकमा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
14. मोहरी पुत्री हुकमा जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
15. बोदुराम पुत्र शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
16. गिरधारी पुत्र शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
17. जयसंता पुत्री शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
18. मोहनीदेवी पत्नि शिवनाथराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर
19. गंगाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी पांचौता तहसील नावां जिला नागौर ।
20. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा नावां तहसील नावां ।
21. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भूमिधारी तहसीलदार नावां तहसील नावां ।

मुकदमां नम्बर :— 276 / 2022 **निर्णय दिनांक** :— 07.02.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री रामेश्वरलाल नेहरा अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर [...] प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पांचौता पटवार हल्का पांचौता [...] स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 799 रकबा 1.7700 हैक्टर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 843 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल रकबा 3.1300 हैक्टर भूमि में जो बटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 842 रकबा 0.03 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 843 रकबा 1.33 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी हनुमानराम को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू—विभाजन किया जाता हैं तथा शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

खसरा नम्बर 799 रकबा 1.77 हैक्टर भूमि में से वादी का नाम हटाया जाता है एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 799 में प्रतिवादीगण हिस्सा घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा।

बयान मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.02.2023 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर))

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

(उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर))

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 15:09:18 IST
Reason: SelfAttested